आदेश हुक्म की तामील में जारी हुए

25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नं. 01, श्री देवीदत्त पुत्र लालचन्द गोठवाल(विक्रेता व मालिक), मैसर्स– लव प्रित डिपार्ट मेन्टल स्टोर वार्ड नं. 15 गोठवालो कि मोहल्ला श्रीमाधोपुर सीकर, अप्रार्थी नं. 02, श्री कृष्णा गोपाल शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा(मालिक) निवासी वार्ड नं. 08 श्रीमाधोपुर सीकर मैसर्स– कृष्णा गोयल शर्मा(डीलर क्षीर दुध) व अप्रार्थी नं. 03, श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा(नोमिनी) निवासी गांव सरगोठ रिको श्री खाटुश्यामजी इण्डस्ट्रीयल काम्लेक्स रींगस तह. श्रीमाधोपुर सीकर कि ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.07.2018 को समय 01:30 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स लव प्रित डिपार्ट मेन्टल स्टोर वार्ड नं. 15 गोठवालो कि मोहल्ला श्रीमाधोपुर सीकर पर विक्रेता देवीदत्त पाश्च्चुराइज्ड टोड दुध (क्षीर) का विक्रय कर रहा था। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया।

फर्म पर देवीदत्त के पास मौके पर डिफ्रिज पाश्च्चुराइज्ड टोड दुध (क्षीर) 20X500 लीटर स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 4x500 लीटर पाश्च्चुराइज्ड टोड दुध (क्षीर) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 80 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी, वकील अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा जिससे ये साबित होता हो कि अप्रार्थी निर्दोष है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह सामने आया कि अप्रार्थी नम्बर एफ–1238 खाद्य पदार्थ पाश्च्चुराइज्ड टोड दुध (क्षीर) का नमूना लिया गया। जिसकी रिपोर्ट राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला जयपुर के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। प्रयोग शाला जयपुर की रिपोर्ट प्रकरण में एक अहम सबूत है। अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(i) का उल्लंघन किया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हु... तामील में...
	अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 1,35,000 रू (अप्रार्थी नं. 1 को 10,000रू, अप्रार्थी नं. 2 को 25,000रू व अप्रार्थी नं. 03 को 1,00,000रू) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210—04—800—03—00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर नीमकाथाना, सीकर (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner